<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004282013</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—522 / 13</u> संस्थापित दिनांक—30.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

तिरुद्ध

01—वीरसिंह पुत्र गजाधर लोधी उम्र 65 वर्ष

02—उधम सिंह पुत्र वीर सिंह लोधी उम्र 28 वर्ष

03—श्रीमती विमला पत्नी वीरसिंह लोधी उम्र 55 वर्ष

04—कु० कृष्णा पुत्री वीरसिंह लोधी उम्र 19 वर्ष

निवासीगण विजरावन बामौरकला शिवपुरी।

.......आरोपीगण

राज्य द्वारा :-- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :-- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 31.03.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अनीता लोधी ने दिनांक 17.10.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसकी अदालत में पेशी थी। उसके पित के साथ दहेज बाबत केस चल रहा था। अदालत से पेशी करके बस स्टेंड पर पहुंची तभी उसके ससुर वीरसिंह, पित उधम, ननद कृष्णाबाई, सास विमलाबाई चारों आए और बोले कि केस में राजीनामा कर लो। और जब उसने अदालत का फैसला मान्य होगा वाली बात बोली तो इसी बात पर से आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच एवं मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 464/13 के अंतर्गत भादिव की धारा 324, 323, 504, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 504 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, आरोपीगण ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.10.13 को समय शाम 05.00 बजे बस स्टेंड चंदेरी पर फरियादिया अनीताबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त

सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी को किसी धारदार हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को अपमानित करने के आशय से प्रकोपित किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अनीता, अ.सा. 02 चंदन सिंह, अ.सा. 03 मोहम्मद शािकर, अ.सा. 04 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 05 अब्दुल हमीद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 अनीता ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह तगारी जा रही थी तब रास्ते में सरस्वती स्कूल के बड़े गेट के पास आरोपीगण ने उसे रास्ते में रोक लिया था और राजीनामा करने का दवाब डाला था। उक्त साक्षी के अनुसार चारों आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। अ.सा. 01 के अनुसार आरोपीगण ने डंडे और चाकू से मारा था जिससे उसके हाथ, बाजू, पीठ एवं डढा में चोट आई थी जिस पर से उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। अ.सा. 02 चंदन सिंह तथा अ.सा. 03 शाकिर ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को फरियादिया कोर्ट पेशी करने के बाद तगारी जा रही थी तब आरोपीगण ने उसे रोककर राजीनामा करने के लिए कहा था तथा उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षीगण के अनुसार मारपीट से फरियादिया को चोट आई थी। अ.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा

तो उसने आरोपीगण को अलग किया तब आरोपीगण गाली देने लगे।

08— अ.सा. 04 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं, ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 17.10.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदेरी में आहत अनीताबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 03 है। उक्त रिपोर्टानुसार आहत को पांच चोटें आई थीं जिसमें से एक फटा हुआ घाव था जो कि धारदार वस्तु से आना प्रकट हो रहा था। अ.सा. 05 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 04 लेखबद्ध की गई थी तथा नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं आरोपीगण को गिरफतार किया गया था।

09— अ.सा. 05 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादिया द्वारा प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। अ.सा. 04 की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादिया को किसी धारदार हथियार से चोटें आई थीं। अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ गाली गलौच की गई थी। फरियादिया के कथनों से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादिया के रास्ता रोककर उसके साथ चाकू से मारपीट की गई। फरियादिया के कथनों का अनुसमर्थन अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य से हो रहा है। फरियादिया की साक्ष्य की संपुष्टि प्रकरण में आई मेडिकल साक्ष्य प्रपी 03 से भी हो रही है। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि फरियादिया द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध दहेज से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। फरियादिया घटना दिनांक को न्यायालय में पेशी करने के पश्चात् ग्राम तगारी जा रही थी तब रास्ते में आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध फरियादिया के साथ कारित किया गया। अभिलेख पर ऐसी कोई बचाव साक्ष्य नहीं आई

है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को कोई घटना घटित नहीं हुई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 324, 504 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए सिद्धदोष किया जाता है।

10— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

11. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्जा का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। मामले की फरियादिया महिला है और इस प्रकार उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध प्रकट हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे 12. दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उनके द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द. वि. की धारा 294 के अपराध में 200-200 के रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपीगण तीन-तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324 के अपराध में तीन-तीन माह के साधारण कारावास एवं तीन-तीन सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 504 के अपराध में तीन–तीन माह के साधारण कारावास एवं तीन-तीन सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त तीनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।
- 13. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 15. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)